.33 4-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

मुकदमा [illegible] बनाम राजस्थान सरकार

प्रा०पत्र -128 L.R. Act नं० 7/2024 सन 2024

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। तलबी नोटिस अप्रार्थी बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थी उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण वकील बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रा०पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण प्रा०पत्र अ० धारा-128 L.R. Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 12/7/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

रण संख्या:– 72/2024
रण दायर दिनांक:– 15.04.2024
रण निर्णय दिनांक:– 12.07.2024

उनवान

1. बृज मोहन पुत्र चन्दर
2. कैलाश पुत्र चन्दर
3. राजेश पुत्र चन्दर
4. केसर देवी पत्नी चन्दर

समस्त जाति बैरवा निवासी सत्यनगर श्यालावास खुर्द बच्ची का बास के पास बॉंदीकुई तहसील बॉंदीकुई जिला दौसा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बॉंदीकुई तहसील बॉंदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट भूमि में पत्थरगढी करवाने बाबत

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 179 पुराना 134 के खसरा नं. 1374/613, 1376/734, 731, 732, 733 एवं 747 कुल किता 06 कुल रकबा 1.11 हैक्ट. वाके रामा श्यालावासखुर्द तहसील बॉंदीकुई जिला दौसा में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान प्रार्थीगण एवं ग्राम वासियों की उपस्थिति में दिनांक: 18.07.2022 को किया है एवं भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है। प्रार्थीगण दिनांक: 18.07.2022 को किये गये सीमाज्ञान अनुसार भूमि पर पत्थरगढी करवाकर उसमें चिन्हित कायम करवाना चाहता हैं जो भूमि की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक हे जिससे कि भविष्य में अन्य खातेदारों से किसी भी प्रकार का उक्त भूमि के सीमाज्ञान को लेकर विवाद न हो। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को भूमि खाता सं. नया 179 पुराना 134 के खसरा नं. 1374/613, 1376/734, 731, 732, 733 एवं 747 कुल किता 06 कुल रकबा 1.11 हैक्ट. वाके रामा श्यालावासखुर्द तहसील बॉंदीकुई जिला दौसा में स्थित है की पत्थरगढी मौके पर करवायी जाने के आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गई। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण वकील बहस सुनी गई। हमने प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एव संलग्न दस्तावेजातों राजस्व जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम श्यालावासखुर्द खाता सं. नया 179 पुराना 134, मौका पर्चा सीमाज्ञान वाके ग्राम श्यालावासखुर्द दिनांक: 18.07.2022 का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम श्यालावासखुर्द खाता सं. नया 179 पुराना 134 के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। मौका पर्चा सीमाज्ञान वाके ग्राम श्यालावासखुर्द दिनांक: 18.07.2022 के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण

को एल.आर.एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी, मौका पर्चा सीमाज्ञान वाके ग्राम श्यालावासखुर्द दिनांकः 18.07.2022 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बांदीकुई प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 179 पुराना 134 के खसरा नं. 1374/613, 1376/734, 731, 732, 733 एवं 747 कुल किता 06 कुल रकबा 1.11 हैक्ट. वाके रामा श्यालावासखुर्द तहसील बॉदीकुई जिला दौसा की मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान वाके ग्राम श्यालावासखुर्द दिनांकः 18.07.2022 के विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

12/7/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner